कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

पता :.फौजदार पेट्रोल पंप स्टेशन रोड़ होशंगाबाद
ई–मेल–jdhhoshangabd@gmail.com दूरभाष क्रमांक 07574–252160

प्रमाणित मसाला बीजों के क्रय हेतु निविदा सूचना

संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / हार्टि / डी–1 / 02 / 2015–16 / 3348 भोपाल, दिनांक 16.09.2015 के तहत् रबी 2015–16 में राज्य मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत प्रमाणित धनिया एवं लहसुन मसाला बीज जिनकी किस्में भारत शासन द्वारा नोटिफाईड (अधिसूचित) हो, जिसमें धनिया क्षेत्र विस्तार हेतु **35.50 क्विंटल** एवं लहसुन क्षेत्र विस्तार हेतु **325.00 क्विंटल** के क्रय हेतु निविदायें आंमंत्रित की जाती हैं। यह मात्रा कम या ज्यादा की जा सकती है निविदाकर्ता उपरोक्त प्रमाणित बीजों में से किसी भी एक फसल की उपलब्ध मात्रा हेतु एवं समस्त बीज की उपलब्धता हेतु भी निविदा प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जो कि विभाग के नियम व शर्तो को पूर्ण करता हो।

निविदा फार्म, नियम व शर्तो सहित 1000 / – रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो कि संयुक्त संचालक उद्यान नर्मदापुरम् संभाग के होशंगाबाद के नाम से देय हो अथवा नगद भुगतान कर कार्यालयीन समय में दिनांक 29.09.2015 तक प्राप्त किया जा सकता है। **निविदा दिनांक 01.10.2015 को समय दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन अपरान्ह 2.00 बजे निविदाकर्ताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।** उक्त दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा मान्य नही की जायेगी। निविदा की समस्त शर्तें निविदा फार्म में उल्लेखित की गई है तथा निविदा फार्म विभाग की वेबसाईट ई–मेल dirhort@mp.nic.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

संयुक्त संचालक उद्यान नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

17/9

संयुक्त संचालक उद्यान
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

पता :.फौजदार पेट्रोल पंप स्टेशन रोड़ होशंगाबाद
ई–मेल–jdhhoshangabd@gmail.com

वर्ष 2015–16 हेतु संभाग स्तर पर प्रमाणित मसाला बीजों के क्रय हेतु निविदा प्रपत्र

- निविदा फार्म प्राप्त करने की निर्धारित तिथि एवं समय सीमा– दिनांक 29.09.2015 तक कार्यालयीन समय में।

- निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय –दिनांक 01.10.2015 दोपहर 12.00 बजे तक।

- निविदा खोलने की तिथि एवं समय–दिनांक 01.10.2015 अपरान्ह 2.00 बजे।

संयुक्त संचालक उद्यान
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

पता :.फौजदार पेट्रोल पंप स्टेशन रोड़ होशंगाबाद
ई–मेल–jdhhodhangabd@gmail.com

पत्र क्र.. दिनांक ....

प्रति,

....

....

....

विषय : प्रमाणित मसाला बीजों की संभाग स्तर पर क्रय हेतु निविदा प्रपत्र।

महोदय,

वर्ष 2015–16 में मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, पता **फौजदार पेट्रोल पंप स्टेशन रोड़ होशंगाबाद,** प्रमाणित मसाला बीजों के क्रय हेतु अपने नियम व शर्तों सहित निविदाऐं आमंत्रित करता है।

जिसमें की समस्त नियम व शर्तें इस निविदा फार्म के साथ संलग्न करते हुये निविदा फार्म हेतु 1000/– रूपये के बैंक ड्राफ्ट जो कि संयुक्त संचालक ,उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, के नाम से देय हो (जो कि वापस योग्य नहीं होगा) निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा निर्धारित ऑफर बॉक्स में दिनांक 01.10.2015 दोपहर 12.00 बजे तक जमा होगी एवं समिति के द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पता संयुक्त संचालक उद्यान नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद में दिनांक 01.10.2015 अपरान्ह 02:00 बजे खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नही की जायेगी। सर्शत निविदा को अमान्य किया जावेगा।

संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

संयुक्त संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद मध्यप्रदेश

प्रमाणित बीजों की प्रदायगी हेतु नियम व शर्ते निम्नानुसार है।

1. अमानत राशि रूपये 1,00,000/–(रूपये एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी , नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के नाम से देय होगा जो कि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा अमान्य मानी जावेगी ।
2. निविदाकारों की जिन बीजों की दरें न्यूनतम प्राप्त होगीं, समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् निविदाकर्ता को अनुबंध के समय उन बीजों के अंतिम प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यदि अनुबंध के समय अंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किये जावेगे तो उनके द्वारा प्रस्तुत दरें स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
3. उपरोक्त बीजों की दरें **F.O.R.** जिला कार्यालय पहुँचाकर प्रदायगी की रहेगी। अलग से कोई भी अतिरिक्त राशि विभाग द्वारा देय नहीं होगी।
4. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अंतिम बीज प्रमाण–पत्रों का विभाग द्वारा संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्था से सत्यापन कराया जावेगा, उसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
5. प्रमाणित मसाला बीज मसाला क्षेत्र विस्तार योजना हेतु बीजों की पैकिग विभाग की माग अनुसार निर्धारित मापदण्ड़ के अनुसार नियमानुसार पैकिट तैयार कर प्रदाय करना होगा। जिसका प्रपत्र एवं प्रदाय की जाने वाली मात्रा विवरण बीज प्रदायगी आदेश देते समय दिया जायेगा। तद्अनुसार चाही गई पैकिंग मैं प्रदायगी सुनिश्चित करना होगी। पैकिंग का अलग से कोई भी अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा।
6. जो किस्में भारत शासन द्वारा नोटिफाईड (अधिसूचित) है उन्ही फसलों/किस्मों के प्रमाणित बीज क्रय किये जायेंगे।
7. न्यूनतम दरें फसलवार मान्य की जावेगी।
8. जिन निविदाकारों की फसलवार प्रथम न्यूनतम दरें प्राप्त होगी, यदि उनके द्वारा निविदा में चाही गई पूर्ण मात्रा उपलब्ध नही कराई जावेगी तो उस स्थिति में द्वितीय तृतीय व अन्य निविदाकार से उनकी दरों पर शेष मात्रा की पूर्ति करायी जावेगी। जिस हेतु प्रथम या द्वितीय न्यूनतम दरों वाले निविदाकार की कोई भी आपत्ति मान्य नही की जायेगी।

9. यदि प्रदाय किये गये बीजों की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी जिले या किसान एवं अन्य प्रकार से कोई शिकायत प्राप्त होती है और यदि जॉच में सही पायी जाती है तो उसका निराकरण स्वयं प्रदायकर्ता को करना होगा।
10. प्रदाय किये जाने वाले बीजों की राशि का भुगतान संबंधित जिलों के द्वारा अधिकतम 120 दिवस में कर दिया जावेगा।
11. जिन निविदाकारों की दरें अनुमोदित की जायेगी उन्हें शासकीय कार्य दिवस में तीन दिन के भीतर प्रदाय की जाने वाली मात्रा का अनुमोदित दरों के मान से 3 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 2 लाख अग्रिम अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। जो कि बाद में बीजों की आपूर्ति के पश्चात् प्रदायक को बिना ब्याज के प्रदायगी दिनांक से 120 दिवस में वापस कर दी जायेगी तथा निविदा के साथ जमा की गई राशि को उसी 3 प्रतिशत राशि में समायोजित कर मान्य किया जायेगा।
12. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दरें केवल **रूपये प्रति कि0ग्रा0** में प्रस्तुत की जावेगी।
13. प्रस्तुत निविदा में सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर आवश्यक रहेंगे ।
14. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा में दर अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दों में दी गई दर को ही मान्य किया जावेगा।
15. 100 रूपये के स्टॉम्प पेपर पर सहमति एवं घोषणा पत्र परिशिष्ट 1 में अनुसार दिया जाना होगा जो कि नोटरी द्वारा नोटराइज्ड कराकर देना होगा।
16. निविदाओं में दी प्रमाणित बीजों की मात्रा अनुमानित है। जो कि निविदा खुलने के पश्चात् समिति द्वारा दरों के अनुमोदन के पश्चात् तथा निविदा में उपलब्ध प्रमाणित बीजों की मात्रा के आधार पर अंतिम मॉग निश्चित की जायेगी।
17. जिन लॉटों के बीज की प्रदायगी की जावेंगी उन बीजों की मूल थैलियों से निकाले गए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी किये गये मूल टेग अनिवार्य रूप से संभागीय कार्यालय में जमा कराना होगा।
18. बीजों की प्रदायगी आदेश दिनांक से 20 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी।
19. यदि प्रदायक के द्वारा आदेशित मात्रा के अनुसार बीज नही प्रदाय किया जावेगा। तो जो अमानत राशि विभाग के पास अग्रिम राशि के रूप में जमा होगी, उसे विभाग राजसात करने हेतु स्वतंत्र होंगे तथा ऐसे प्रदायकों को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।

20. प्रदाय की जाने वाले बीजों की फसलवार एवं किस्मवार मात्रा का पूर्ण विवरण निविदाकर्ता को निविदा में स्पष्ट रूप से देना होगा।
21. निविदाकर्ता निविदा में दी गयी बीजों की मात्रा में से समस्त फसलों के बीज की मात्रा हेतु अथवा किसी भी एक बीज की कितनी ही मात्रा हेतु निविदा शर्तों के अनुसार निविदा में प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण रूप से स्वंतत्र होगा।
22. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार बिना कोई कारण बताये संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद को होगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र संभागीय न्यायालय होगा।
24. जिन निविदा कर्त्ताओं की दरों का अनुमोदन विभाग द्वारा किया जावेगा, उनका अनुबंध 3 दिवस के भीतर संबंधित निविदाकर्ता को करना होगा, तथा अनुबंध के साथ सिक्योरिटी राशि जमा कराना होगी।
25. क्रय किये जाने बीजों की मात्रा आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है।

संयुक्त संचालक उद्यान
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

निविदा फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की चैक लिस्ट

1. संकल्प धनराशि रूपेय 1 लाख का बैंक ड्राफ्ट।
2. बीजों के वैध लाईसेन्स की प्रति।
3. टिन नंबर एवम् पैन नंबर की प्रति।
4. निविदाकार फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रति।
5. यदि निविदाकार स्वयं उपस्थित नही होता है तो उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत करने एवं निविदा से संबंधित समस्त कार्यवाही हेतु दिये गये अधिकार पत्र की मूल प्रति स्वप्रमाणित हस्ताक्षर सहित।
6. विभाग को प्रमाणित बीजों की प्रदायगी बावत् 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र।
7. काली सूची में एवं किसी भी संस्था द्वारा दण्डित न होने पर एवं किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन न होने का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड किया हुआ घोषणा पत्र।

संयुक्त संचालक उद्यान
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

परिशिष्ठ 'अ'

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

पता :.फौजदार पेट्रोल पंप स्टेशन रोड़ होशंगाबाद
ई–मेल–jdhhoshangabd@gmail.com

पत्र क्र.. दिनांक ....

प्रति,

संयुक्त संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

महोदय,

1. प्रदायक का नाम एवं पता ....

....

....

2. फोन नं0 .... फैक्स नं0 ....

3. टिन नं0 ....

4. पैन न0 ....

5. बीज लाईसेन्स नं0 .... वैधता दिनांक ....

परिशिष्ट 'ब'

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

पता :.फौजदार पेट्रोल पंप स्टेशन रोड़ होशंगाबाद

ई–मेल–jdhhoshangabd@gmail.com

पत्र क्र...   दिनांक ....

(प्रमाणित मसाला बीज की उपलब्धता के संबंध में)

सं. क्र.	फसल का नाम	किस्म / प्रजाति	प्रदाय की जाने वाली मात्रा क्विंटल में
1.	धनिया		
2.	लहसुन		

वित्तीय ऑफर

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

पता :.फौजदार पेट्रोल पंप स्टेशन रोड़ होशंगाबाद
ई–मेल–jdhhoshangabd@gmail.com

वर्ष 2015–16 हेतु प्रमाणित मसाला बीज के क्रय हेतु वित्तीय ऑफर

1. प्रदायक का नाम एवं पता ....
....
2. फोन नं0 .... फैक्स नं0 ....
3. ई–मेल ....

सं.क्र.	फसल का नाम	किस्म / प्रजाति	प्रदाय की जाने वाली मात्रा क्विंटल	प्रदाय दर रूपये प्रति कि0ग्रा0 जिला कार्यालय पहुचाकर	
				अंको में	शब्दों में
1.	धनिया				
2.	लहसुन				

अनुबंध   परिशिष्ठ 'स'

मेरे द्वारा विभाग की समस्त शर्तो को मान्य करते हुये अपनी निविदा प्रस्तुत की गयी है। तथा हम निम्न मात्रा के प्रदाय हेतु विभाग से आज दिनांक .... को अनुबंध निष्पादित कर रहें है।

सं.क्र.	फसल का नाम	किस्म / प्रजाति	प्रदाय की जाने वाली मात्रा क्विंटल	प्रदाय दर रूपये प्रति कि0ग्रा0 जिला कार्यालय पहुचाकर	
				अंको में	शब्दों में
1.	**धनिया**				
2.	**लहसुन**				

यह अनुबंध आज दिनांक .... को संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद कि मध्य किया गया है तथा दिनांक .... को प्रस्तुत निविदा में मेरे फर्म की विभाग के पत्र क्र. .... दिनांक ....के द्वारा अनुमोदित दरों प्रमाणित मसाला बीजों की प्रदायगी हेतु अनुबंध निष्पादित कर रहें है। अनुबंध की समस्त शर्ते हमें मान्य है।

गवाह

1. ....

संयुक्त संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद मध्यप्रदेश

2. ....

प्रदायक संस्था

100/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर

मैं .... मेसर्स ....की

ओर से विभाग द्वारा आमांत्रित प्रमाणित मसाला बीज की निविदा हेतु निम्नलिखित कथन करता हूँ :–

1. यह कि मेरी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नही है।
2. यह कि मेरी फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम द्वारा कभी प्रदाय के लिये दण्डित नही किया गया है।
3. यह कि मेरी फर्म का इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नही है।